

विद्यार्थी विभाग,
विद्यार्थी विभाग।

पटना, बिहार

के० एम० शर्मा,
सरकार के संयुक्त सचिव।

सेवा में,

राष्ट्रीय विभागीय प्रमाण सचिव,
राष्ट्रीय विभागीय सचिव,
राष्ट्रीय शिस्तशास्त्री।

विषय :-

अखिल भारतीय सेवा के पदाधिकारी को दिनांक 01.01.04 एवं उसके बाद नियुक्त कर्मियों पर प्रभावी अन्वयन योजना के संबंध में।

सहायक,

उपरोक्त विषय के संबंध में निदेशानुसार कहना है कि भारत सरकार वित्त मंत्रालय व्यय प्रभाग, नई दिल्ली के पत्रांक-05/07/2003 दि० 11० थो० दिनांक 22.12.03 द्वारा भारत सरकार के अधीन दिनांक 01.01.04 या उसके बाद नियुक्त कर्मियों के लिए वर्तमान पेंशन योजना के अन्वयन पर नई पेंशन योजना लागू की गई है।

दिनांक 01.01.04 या उसके बाद नियुक्त अखिल भारतीय सेवा के पदाधिकारियों पर भी उपरोक्त आदेश प्रभावी होगा। इस योजना अन्तर्गत सामान्य भविष्य निधि की कटौती नहीं होगी, उसके स्थान पर वेतन एवं अनुमान्य जीवन यापन भत्ता के योग का 10% राशि संयुक्त आयुक्त लेखा प्रशासक द्वारा आरंभ 12 अंशों की लेखा संख्या में नियुक्ति के उपरान्त योगदान के अगले तिमाही में जमा प्रारंभ होगी एवं उतनी ही राशि राज्य सरकार द्वारा अनुदान के रूप में दी जायगी।

अखिल भारतीय सेवा के विद्वान संघों के पद पर आने के पूर्व यदि वे परीक्ष्यमान (प्रोविजन) में हो तो, उक्त अवधि में अन्वयन अंशदान की कटौती नहीं हुई हो तो, उक्त अवधि का वेतन एवं अनुमान्य जीवन यापन भत्ता के योग का 10% राशि संयुक्त आयुक्त लेखा प्रशासक द्वारा आरंभित लेखा संख्या में जमा की जायगी एवं राज्य सरकार अपने अनुदान के रूप में वेतन एवं अनुमान्य जीवन यापन भत्ता के योग का 10% राशि उपलब्ध करायेंगी। इसके लिए मुख्य शीर्ष-2071-पेंशन तथा अन्य सेवा, उपशीर्ष-01-रिटिरेड, अनुक्रम 800 अन्य व्यय उप शीर्ष 0001 अंतर्गामी देश के रहता वर्तमान वित्तीय वर्ष में राशि का प्रावधान किया गया है।

भारत सरकार के आदेश संख्या 28/30/04 बी.एण्ड.पी.डब्ल्यू.(थी.) दिनांक 26.7.05 की कटौती 2(1) के अनुसार 31.12.05 को जयवा उसके पूर्व केन्द्र सरकार जयवा केन्द्र सरकार द्वारा गठित निकाय में नियुक्त पुरानी पेंशन योजना द्वारा शारित होते थे, तो वे यदि तकनीकी रूप से त्याग पत्र दिये जाने पर उन्हीं विद्यार्थी सेवा की मणवा की जायगी एवं पुरानी पेंशन योजना से शारित करने रहेंगे।

विश्वासमानजन,
के० एम० शर्मा)
सरकार के संयुक्त सचिव।

आपाक

35

वि०, पटना, दिनांक 08/11/03

प्रतिनिधि-संयुक्त आयुक्त लेखा प्रशासक/सभी कोषागार/सभी उप कोषागार को सूचनाय प्रेषित।

(Handwritten Signature)
के० एम० शर्मा)
सरकार के संयुक्त सचिव।

५